FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

जसवन्त सिंह उर्फ जसमत सिंह **बनाम** राजस्थान सरकार

अन्तर्गत धारा 88 आरटीए नम्बर 220 सन् 2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/ 2022/328

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.12.2022	प्रार्थी जसवन्त सिंह उर्फ जसमत सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एफ एफ के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबध में रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया जो सामिल मिसल किया गया। प्रार्थी को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते	

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:24:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 220/2022

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. जसवंत सिंह उर्फ जसमत सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

--निर्णय-- दिनांक : 13.12.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 5 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 20/22 के मुरब्बा नम्बर 28 की कुल 4.301 हेक्टैयर नहरी भूमि में वादी का नाम 2.150 हेक्टैयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें वादी का नाम जसमत सिंह पुत्र बलवीर सिंह दर्ज है। जबकि वादी का सही नाम जसवंत सिंह पुत्र बलवीर सिंह है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त जमाबन्दी में वादी का नाम जसमत सिंह पुत्र बलवीर सिंह के स्थान पर जसवंत सिंह उर्फ जसमत सिंह पुत्र बलवीर सिंह दुरूस्त किए जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संम्बध में रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 5 एफ एफ के खाता संख्या 20/22 के मुरब्बा नम्बर 28/2.150 हेक्टैयर भूमि में प्रार्थी का नाम जसमत सिंह पुत्र बलवीर सिंह दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थी का सही नाम जसवन्त सिंह उर्फ जसमत सिंह पुत्र बलवीर सिंह है। चक 5 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 20 में प्रार्थी का नाम जसमत सिंह पुत्र बलवीर सिंह व खाता संख्या 23 में जसवन्त सिंह उर्फ जसमत सिंह पुत्र बलवीर सिंह दर्ज रिकॉर्ड है। इस सम्बन्ध में पूछताछ में लोगो ने बताया कि जसवन्त सिंह व जसमत सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र प्रार्थी, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 5 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 20 की प्रति, व चक 5 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 23 की प्रति, के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा चक 5 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 20/22 में क्रम संख्या 1 पर अंकित नाम जसमत सिंह पुत्र बलवीर सिंह के स्थान पर जसवन्त सिंह उर्फ जसमत सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 5 एफ एफ के खाता संख्या 20/22 के मुरब्बा नम्बर 28/2.150 हेक्टैयर भूमि में प्रार्थी का

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)
Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:24:24 IST
Reason: Self Attested

नाम जसमत सिंह पुत्र बलवीर सिंह दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थी का सही नाम जसवन्त सिंह उर्फ जसमत सिंह पुत्र बलवीर सिंह है। चक 5 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 20 में प्रार्थी का नाम जसमत सिंह पुत्र बलवीर सिंह व खाता संख्या 23 में जसवन्त सिंह उर्फ जसमत सिंह पुत्र बलवीर सिंह दर्ज रिकॉर्ड है। इस सम्बन्ध में पूछताछ में लोगो ने बताया कि जसवन्त सिंह व जसमत सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। अतः प्रार्थना पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, वादी के शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-ःआदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद पत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 5 एफ एफ, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि.क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 20/22 में क्रम संख्या 1 पर अंकित नाम जसमत सिंह पुत्र बलवीर सिंह के स्थान पर जसवन्त सिंह उर्फ जसमत सिंह पुत्र बलवीर सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 13.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:24:24 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

जसवन्त सिंह उर्फ जसमत सिंह बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत **88 आरटीए** मुकदमा नं. **220/2022**
निर्णय दिनांक :- 13.12.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी स्वंय** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वाद पत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 5 एफ एफ, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 20/22 में क्रम संख्या 1 पर अंकित नाम जसमत सिंह पुत्र बलवीर सिंह के स्थान पर जसवन्त सिंह उर्फ जसमत सिंह पुत्र बलवीर सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 13.12.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**00**	**00**

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

क्रमांक: रीडर/ 2022/614 दिनांक: 13.12.2022

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:24:24 IST
Reason: SelfAttested